

कार्यालय उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, सवाई माधोपुर

क्रमांक:- 7851.

दिनांक:- 18/12/2025

संशोधित विज्ञप्ति

इस कार्यालय के राजकाज रेफरेंस नं 0 19302353 दिनांक 10.12.2025 के द्वारा जारी विज्ञप्ति में परियोजना बौली द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना में त्रुटि होने के फलस्वरूप बाल विकास परियोजना अधिकारी बौली द्वारा प्रस्तुत पत्र क्रमांक 1690 दिनांक 17.12.2025 के आधार पर निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

क्रमांक	परियोजना का नाम	पद	संशोधित विवरण
1	बौली	कार्यकर्ता	तलाब की ढाणी(अनुसूचित जनजाति)
2		सहायिका	टोड(सामान्य) पुरागुलाब सिंह(सामान्य) तलाब की ढाणी(अनुसूचित जनजाति)

अतः कार्यकर्ता तलाब की ढाणी (सामान्य) के स्थान पर तलाब की ढाणी (अनुसूचित जनजाति) एवं सहायिका टोड(अनुसूचित जनजाति)के स्थान पर टोड(सामान्य), पुरागुलाब सिंह (अनुसूचित जाति)के स्थान पर पुरागुलाब सिंह (सामान्य)तथा तलाब की ढाणी (सामान्य) के स्थान पर तलाब की ढाणी (अनुसूचित जनजाति) पढ़ा जावे ।

(प्रियंका शर्मा)

उप निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएं

सवाई माधोपुर

दिनांक:- 18/12/2025

क्रमांक:- 7852-66

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यककार्यवाही हेतु ।

- श्रीमान निदेशक महोदय, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज0, जयपुर ।
- श्रीमान कलेक्टर महोदय सवाई माधोपुर ।
- श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाई माधोपुर
- श्रीमान उपनिदेशक(ए0सी0पी) समेकित बाल विकास सेवाएं जयपुर को विभागीय बेवसाइट हेतु
- श्रीमान कोषाधिकारी कोष कार्यालय सवाई माधोपुर
- बाल विकास परियोजना अधिकारी बौली
- नोटिस बोर्ड चर्चा हेतु कार्यालय कलेक्टर/जिला परिषद/पंचायत समिति/नगर परिषद
- संबंधित ग्राम पंचायत एवं वार्ड पंच/पार्लाद को प्रचार प्रसार हेतु
- लेंखा/बिल शाखा
- रक्षित पत्रावली

उप निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएं

सवाई माधोपुर